न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
392 / 2024	02.07.2024	20-01-2025

उनवान

1. श्री हीरा लाल पिता देबीलाल कीर, निवासी कीरों का खेडा, आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता देबीलाल कीर निवासी कीरों का खेडा, आरजिया, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. गीता पुत्री देवीलाल कीर निवासी कीरों का खेड़ा, आरजिया, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. जमनी पत्नी बालू कीर निवासी कीरों का खेडा, आरजिया, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. प्रेमदेवी पत्नि देवीलाल कीर निवासी कीरों का खेड़ा, आरजिया, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. मजू पुत्री देवीलाल कीर निवासी कीरों का खेडा, आरजिया, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0 —— विपक्षी

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री श्यामलाल गुर्जर।
2. विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 06 की और से पैरोकार सरकार।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम सह खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थी की सहखातेदारी की खाता संख्या 27 के आराजी सं. 35, 36 कुल किता 02 रकबा 0.2655 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी एवं सहखातेदारान के नाम दर्ज चली आ रही है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम सहखातेदार की हैसीयत से नाबालिग उदयलाल पिता देबी सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेमदेवी कीर दोषयुक्त दर्ज कर दिया गया है। जबकि बालिग होकर प्रार्थी सहखातेदार का नाम हीरालाल पिता देवीलाल कीर है। पुष्टि में राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी का वास्तविक नाम हीरालाल पिता देवीलाल कीर है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी एवं शैक्षणिक समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी के नाम हीरालाल पिता देवीलाल कीर दर्ज है। प्रमाण में प्रार्थी का आधारकार्ड एवं विद्यालय सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थी की सहखातेदारी की खाता संख्या 27 के आराजी सं. 35, 36 कुल किता 02 रकबा 0.2655 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता देबी सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेमदेवी कीर के स्थान पर हीरालाल पिता देबीलाल कीर संशोधन कराये जाने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 2464 दिनांक 25.09.2024 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि प्रार्थी का ग्राम आरजिया की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 106 आराजी नम्बर 35 रकबा 0.0632 व आराजी नम्बर 36 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर भूमि में नाबालिग उदयलाल पिता देबी सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेमदेवी हिस्सा 1/10 जाति कीर सा0 दांता का खेडा देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है जो कि प्रार्थी हीरालाल का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, मार्कशीट में प्रार्थी का नाम हीरालाल कीर है। परन्तु प्रार्थी के पिता का विरासम का नामान्तकरण दर्ज के दौरान हीरालाल का बोलता नाम उदयलाल पिता देबी राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना बताया। अतः उपस्थित मौतबिरानों द्वारा हीरालाल एवं रेकार्ड में दर्ज होना बताया। अतः उपस्थित मौतबिरानों द्वारा हीरालाल एवं उदयलाल एक ही व्यक्ति का होना बताया तथा उदयलाल का हीरालाल किये जाने पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थी के दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, जनआधारकार्ड व मार्कशीट में प्रार्थी का नाम हीरालाल कीर अंकित है। तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:<u>आदेश</u> :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम आरजिया की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 106 आराजी नम्बर 35 रकबा 0.0632 व आराजी नम्बर 36 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता देबी के बजाय उदयलाल उर्फ हीरालाल कीर पिता देबीलाल कीर करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 20-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा